(54)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट को

जिला–रीवा (म.प्र.)

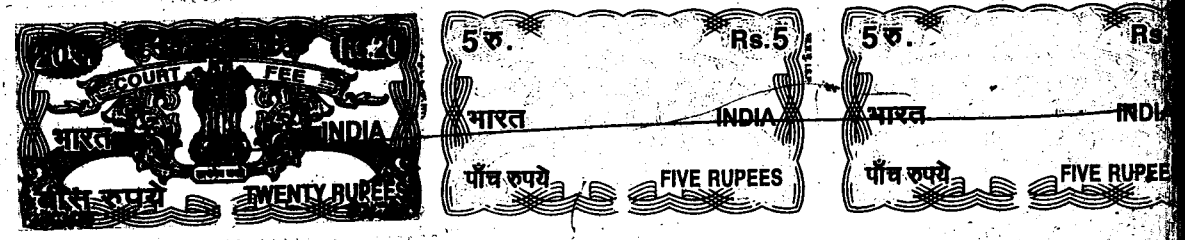

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R-5137-II/17

01- हंशू पिता रामतवंकल उम्र 79 वर्ष, पेशा कृषि।
02- दयाराम पिता बबुआराम उम्र 45 वर्ष, पेशा कृषि।
03- शिवप्रसाद पिता रामतवंकल उम्र 70 वर्ष, पेशा कृषि।
04- जगदीश पिता केमला उम्र 42 वर्ष, पेशा कृषि।
05- सुगन पिता केमला उम्र 45 वर्ष, पेशा कृषि।
06- सिद्धनाथ पिता केमला उम्र 49 वर्ष पेशा कृषि।
सभी निवासी ग्राम खिरवा, तह0 चितरंगी, जिला सिंगरौली,

....

आधिवक्ता मुद्रिका त्रिपाठी द्वारा पेश। 30.3.17

बनाम

01- बबुन्दर पिता तिलक शाह उम्र 50 वर्ष, पेशा कृषि।
02- लक्षिमन पिता जैतलाल उम्र 30 वर्ष, पेशा कृषि।
03- प्रयागलाल पिता बघोली उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि।
04- महीपलाल पिता लोलो उम्र 42 वर्ष, पेशा कृषि।
05- शिवधारी पिता चतुरी उम्र 45 वर्ष, पेशा कृषि।
06- रामदयाल पिता मोलई उम्र 50 वर्ष पेशा कृषि।
07- रामप्यारे पिता मोलई उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि।
08- नंदलाल पिता बघोली उम्र 65 वर्ष पेशा कृषि।
09- सिरमतिया पत्नी बवुन्दर उम्र 48 वर्ष पेशा घरू कार्य।
सभी निवासी ग्राम खिरवा, तह0 चितरंगी, जिला सिंगरौल

...............गै

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्याया
कलेक्टर महोदयय, जिला सिंग
प्रकरण कमांक 295/बी–121
पारित आदेश दिनांक 27.03.
विरुद्ध
पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5137–दो/17 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों आदि के
03–05–17	आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण कमांक 295/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.3.2017 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा –50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक बबुन्दर आदि द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पर संस्थत किया गया तथा आवेदन पत्र इस आशय का है कि ग्राम ग्राम खिरवा तहसील चितरंगी की आराजी खसरा नंबर 438/1 रकबा 2.023 है0 एवं 438/2 रकबा 0.874 शासकीय भूमियां हैं । उक्त भूमियां म0 प्र0 शासन के नाम दर्ज होती रही हैं। वर्ष 1999–2000 में लागू हुये नये अभिलेखो में सिद्वनाथ आदि खसरा नंबर 1275 सिद्वनाथ, सुगन, जगदीश पिता केवा हिस्सा 1/2 शिव प्रसाद पिता रामतौकल 1/3 हंशू पिता रामतोकल लोहार हिस्सा 1/331/146 दयाराम पिता बबुआराम 18/146 निवासी देह भूमि स्वामी सिद्वनाथ आदि बसरा नंबर 1269 दर्ज अभिलेख कर दिया गया है किसी आदेश का	

हवाला अंकित नहीं किया गया हैं उक्त प्रविष्ठि अनाधिकृत एवं अवैधानिक है जिसे विलोपित कर पूर्ववत म0 प्र0 शासन नाम भूमि दर्ज होने से दुखित होकर यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का गहन पशीलन किये बिना आवेदक की अपील अग्राह्य की गई है उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर महोदय जिला सिंगरोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.3.17 गैरनगरानीगर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन स्वीकार कर स्वमेव निगरानी में प्रकरण लिया जाकर विधि व प्रकिया के प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय का अलोच्य आदेश दिनांक 27.3.17 निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि पुराना भूमि खसरा न0 438 रकवा 5.00 एकड स्थित ग्राम खेरबा कोठार तहसील देवसर वर्तमान तहसील चितरंगीजिला सिंगरौली के भूमिस्वामी आवेदकगण कमांक 1 व 3 के पिता स्व0 रामतवंकल लोहार थे जिन्हें विवादित भूमि का पटट्ा 29.4.1957 को रीवॉ स्टेट के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिस विवादित भूमि पर आवेदकगण कमांक 1 व 3 के पिता स्व0 रामतवंकल लौहार का कब्जा दखल था, इसी

प्रक़ार विवादित पुराना भूमि खसरा 438 रकवा 2.16 एकड स्थित ग्राम खिरबा तहसील चितरंगी वर्तमान जिला सिंगरौली के भूमिस्वामी भी आवेदकगण पिता स्व0 रामतवंकल लोहार गैर हकदार कास्तकार के रूप में अंकित थे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपन तर्क में कहा है कि स्थाई पटट्ा नायब तहसीलदार देवसर जिला सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 165/1961–62 में पारित आदेश दिनांक 31.1.1962 के अनुसार प्राप्त हुआ था। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि कलेक्टर का आदेश दिनांक 27.3.17 निरस्त कर आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का वारीकी से अध्ययन किया । प्रकरण में सलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रकरण में संलग्न उपखण्ड अधिकारी चितरंगीके जांच प्रतिवेदन तथा संधारित अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि खतौनी वर्ष 1958–59 जो कि उस क्षेत्र केलिये मुख्य अधिकार अभिलेख है, में प्रश्नाधीन आराजी खसरा नंबर 438/1 रकबा 2.023 कथित रामतवंकल के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में शामिल नहीं है। अतएव यदि आवेदकगण के कथानुसार वास्तव में उक्त आराजी रामतवंकल के स्वामित्व में दर्ज थी तो उक्त अधिकार अभिलेख खतौनी वर्ष 1958–59 में निश्चित ही उसके स्वत्व में दर्ज अभिलेख हुई होती।

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण का नाम विलोपित करने में कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः कलेक्टर जिला सिंगरौली का आदेश दिनांक 27.3.17 उचित होने से स्थित रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य